

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	रायसेन जिले में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में पूर्व निर्मित औद्योगिक क्षेत्र को नियमितकरण करने हेतु 16.268 हेक्टेयर वन भूमि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 12.01.2018
स्थान: भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal